

18  $\frac{12}{24}$

प्राचीं एवं उनके अधिवक्ता अनु०। अधिवक्ता एवं प्राचीं को उपस्थित होकर पैरवी हेतु न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग आवाज लगाई गई, बावजूद सूचना अंगु रहे। अतः प्राचीं का प्रार्थना-पत्र अफम पैरवी एवं अफम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो और दायित्व काल हो।

  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

